

बिहार विधान सभा के लिए शून्यकाल सूचना

श्री कुमार शैलेन्द्र, मा० स० वि० स० द्वारा दि०-30.03.2011 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के उत्तर के संबंध में।	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
शून्यकाल सूचना	उत्तर
<p>भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखण्ड के लोकमानपुर गाँव में दि०-08.03.2011 को पंकज साव, कारु साव, सुबोध मंडल एवं शक्ति मंडल का घर आग से जलकर राख हो गया। अंचलाधिकारी ने स्थल निरीक्षण भी किया। लेकिन आज तक सरकार के द्वारा जो तत्काल राहत दिया जाता है, नहीं मिला।</p> <p>अतएव शून्यकाल के माध्यम से पीड़ित को मुआवजा सरकार द्वारा तत्काल मिले, इसकी मांग करता हूँ।</p>	<p>जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक -1239/आ०प्र० दिनांक -31.12.2013) के अनुसार अंचल अधिकारी, खरीक के पत्रांक -1168 दि०-28.12.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अग्नि पीड़ित परिवारों पंकज साव, कारु साव, सुबोध मंडल एवं शक्ति मंडल को 50 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 50 कि०ग्रा० चावल साथ ही नगद अनुदान मो० 2250 रु० की दर से दिया गया है।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-82/2011/...../अ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक -1296 दि०-10.05.2011 के क्रम में कुल 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-82/2011/.....756...../अ०प्र०, पटना-15, दि०- 26/2/14-

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी